निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक/ —— /बा0वि0परि0/अधि0–2/2022–23, दिनांक 15 नवम्बर, 2022

आदेश

श्रीमती मीरा देवी, मुख्य सेविका, बाल विकास परियोजना, मेजा, जनपद–प्रयागराज जिनके विरूद्ध निम्नलिखित आरोपों के सम्बन्ध में अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित (Contemplated) है, को एतद्द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है–

(1) जिला कार्यक्रम अधिकारी, प्रयागराज के पत्र संख्या सी–3287, दिनांक 13 नवम्बर, 2022 के द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 11.11.2022 को कोरांव पुलिस, जनपद प्रयागराज द्वारा मुखबिर की सूचना पर, कोरांव कस्बे में, बस संख्या यू0पी0 70 ई0टी0 3621 में, श्रीमती मीरा देवी, मुख्य सेविका/प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी, मेजा, प्रयागराज के पास से लगभग 50 कि0ग्रा0 अनुपूरक पोषाहार (गेहूँ दलिया) बरामद किया गया। उक्त के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी, मेजा, प्रयागराज द्वारा अपने पत्र संख्या–545/एस0टी0–मेजा/2022, दिनांक 12.11.2022 के माध्यम से जिला कार्यक्रम अधिकारी, प्रयागराज से नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराने की अपेक्षा की गयी, जिसके क्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी, प्रयागराज द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या सी–3281/जि0का0अ0/ड्राई राशन जॉच/2022–23, दिनांक 12.11.2022 के द्वारा 03 सदस्यीय समिति गठित करते हुए जॉच करायी गयी। जॉच समिति द्वारा प्रकरण की जॉच में, श्रीमती मीरा देवी का भी पक्ष लिया गया। जॉच समिति द्वारा अपनी जॉच आख्या मय संलग्नक अपने पत्र संख्या सी–233, दिनांक 13.11.2022 द्वारा प्रस्तुत की गयी, जिसमें पाया गया कि श्रीमती मीरा देवी द्वारा उक्त अनुपूरक पोषाहार (ड्राई राशन), जो पुलिस टीम द्वारा इनसे बरामद किया गया था, को अन्यत्र केन्द्रों से अवैध वसूली करके निजी हित में उपयोगार्थ/बिक्री के लिए अपने घर ले जाया जा रहा था, जबकि विभागीय मानक संचालन प्रक्रिया में ड्राई राशन के परियोजना गोदाम से ले जाने के लिये स्वयं सहायता समूह को नामित किया गया है और इसके अलावा अन्य किसी प्रकार के हस्तक्षेप को निषिद्ध किया गया है।

इस प्रकार श्रीमती मीरा देवी द्वारा अपने पद एवं दायित्व का दुरूपयोग करते हुये उक्त पोषाहार को निजी स्वार्थवश केन्द्रों से अवैध वसूली करके कालाबाजारी करने के उद्देश्य से अपने घर ले जा रहीं थी, जो एक आपराधिक कृत्य है। जॉच आख्या से यह भी स्पष्ट होता है कि श्रीमती मीरा देवी द्वारा माह जुलाई, 2022 के 03 केन्द्रों का ड्राई राशन समयान्तर्गत केन्द्रों को उपलब्ध न कराकर, शासकीय दायित्वों के निर्वहन के प्रति घोर लापरवाही बरती गयी है।

(2) दिनांक 07.09.2022 को जिला कार्यक्रम अधिकारी, प्रयागराज द्वारा परियोजना कार्यालय, मेजा व परिक्षेत्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्रीमती मीरा देवी बिना किसी अवकाश प्रार्थना पत्र के अपने कार्यालय/परिक्षेत्र से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पायी गयी थी, जिसके दृष्टिगत् उनके तद्दिनांक के वेतनादि रोके गये। उनके द्वारा पोषण ट्रैकर पर लाभार्थियों के अनुश्रवण यथा वजन/लम्बाई फीडिंग, होम विजिट, टी0एच0आर0 फीडिंग सही ढंग से न करना व लाभार्थियों का शत–प्रतिशत आधार फीडिंग में रूचि न लेना आदि में श्रीमती मीरा देवी, मुख्य सेविका/प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी, मेजा, प्रयागराज की शिथिलता परिलक्षित होती है।

(3) श्रीमती मीरा देवी, मुख्य सेविका/प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा उपने कार्यालय से अनुपस्थित रहकर मनमाना आचरण करना, अनुपूरक पोषाहार के लाभार्थियों को ड्राई राशन उपलब्ध न कराना, आंगनबाड़ी केन्द्रों के पंजीकृत बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं हेतु अनुमन्य एवं विभागीय योजना से देय अनुपूरक पोषाहार (टी0एच0आर0) की चोरी/गबन कर अपने उपयोग/बिक्री हेतु किया गया। श्रीमती देवी का उक्त कृत्य अत्यन्त गंभीर एवं लाभार्थियों को देय पोषाहार से वंचित करने का घृणित कृत्य है, जिससे इनकी सत्यनिष्ठा तथा कर्तव्यपरायणता संदिग्ध प्रतीत होती है। श्रीमती मीरा देवी उत्तर प्रदेश कर्मचारी आचरण नियमावली–1956 के नियम–03 की दोषी परिलक्षित होतीं हैं।

निलम्बन की अवधि में श्रीमती मीरा देवी को वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड 2, भाग 2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भता की धनराशि अर्द्ध औसत वेतन पर अथवा अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महँगाई भता, यदि ऐसे अवकाश पर वेतन देय है, भी अनुमन्य होगा किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई महँगाई भत्ता देय नही होगा, जिन्हें निलम्बन के पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महँगाई भत्ता अथवा महँगाई भत्ते का उपान्तरित समायोजन प्राप्त नही था।

Scanned by CamScanner

निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।उपरोक्त प्रस्तर 2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जब कि श्रीमती मीरा देवी इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें, कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति, व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

निलम्बन अवधि में श्रीमती मीरा देवी, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, मीरजापुर से सम्बद्ध रहेंगी।

श्रीमती मीरा देवी के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की जॉच हेतु उप निदेशक (पोषण एवं स्वास्थय), मुख्यालय को जॉच अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

(सरनीत कौर ब्रोका)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या/ C-975 /तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. उप निदेशक (पोषण एवं स्वास्थय)/जॉच अधिकारी, मुख्यालय को समस्त संलग्नकों सहित इस आशय से प्रेषित कि वह अपचारी कर्मचारी पर आरोप अधिरोपित कर, अनुमोदनोपरान्त तामील कराते हुए जॉच आख्या एक माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. जिला कार्यक्रम अधिकारी, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश की एक प्रति अपचारी कर्मचारी को तामील कराकर प्राप्ति रसीद अनिवार्य रूप से तीन दिन के अन्दर विशेष पत्रवाहक के माध्यम से निदेशालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. श्रीमती मीरा देवी, मुख्य सेविका/प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी, मेजा द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी, प्रयागराज।
8. व्यक्तिगत् पत्रावली।

(कमलेश गुप्ता)
उप निदेशक

Scanned by CamScanner